

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13037/2023

केवल चंद चौधरी पुत्र देवा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी बकाणी सारणों की ढाणी,
ग्राम पंचायत मीठी बेरी, तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू) राजस्थान, जयपुर अपने निदेशक के माध्यम से।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (एसआईएचएफडब्ल्यू) राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के लिए : श्री राजेश चौधरी

प्रतिवादी के लिए : श्री मोहन लाल

श्री बी.एल. भाटी, एएजी के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

06/03/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों की निष्क्रियता से उत्पन्न हुई है, जिसके कारण प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उसके कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार 20 बोनस अंकों का लाभ देने से इनकार कर रहे हैं। वह फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति चाहता है।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 प्रतिवादियों ने नर्सिंग ऑफिसर/फार्मासिस्ट के लिए दिनांक 16.11.2022 को विज्ञापन जारी किया। इसके अनुसार याचिकाकर्ता ने भी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। इसके बाद प्रतिवादियों ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र

सहित अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिनांक 15/11/2022 को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता को दिनांक 19/12/2022 का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसे उसने आवेदन पत्र के साथ विधिवत प्रस्तुत किया।

2.2 हालांकि, बाद में कुल पदों की संख्या बढ़ाकर दिनांक 5/5/2023 का एक और विज्ञापन प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता ने फिर से अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 20/8/2023 के नोटिस के अनुसार, याचिकाकर्ता अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप, मेरिट सूची तैयार करने के समय उसे उसके द्वारा हकदार 20 अंकों का लाभ नहीं दिया गया। इसलिए, वर्तमान याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में लिया गया बचाव इस प्रकार है:

3.1 याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के अधिकारियों की कुछ मौखिक टिप्पणियों के आधार पर तत्काल याचिका दायर की है, जिसे याचिकाकर्ता ने दस्तावेज सत्यापन के समय सुना था। प्रत्याशा के आधार पर याचिकाकर्ता का रुख गलत है।

3.2 अभ्यर्थियों को अपने अनुभव के आधार पर बोनस अंक का लाभ प्राप्त करने के लिए, विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच जारी नवीनतम कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन में उल्लिखित ऐसी शर्त के बारे में याचिकाकर्ता अच्छी तरह से जानते हुए भी नवीनतम अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करने का निर्णय लिया। सुस्ती के कारण या याचिकाकर्ता को ही ज्ञात किसी अन्य कारण से, उसने पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर ऑन-लाइन आवेदन भरा। उसका प्रमाण पत्र पहले के विज्ञापन की कट-ऑफ के अनुसार जारी किया गया था, जिसे वापस ले लिया गया था। ऐसा पुराना प्रमाण पत्र केवल पिछले विज्ञापन के लिए ही वैध था, बाद वाले विज्ञापन के लिए नहीं।

3.3 बाद में जारी विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रमाण पत्र की तिथि भर्ती अधिसूचना की तिथि अर्थात् 05.05.2023 के बाद की होनी चाहिए। और फिर भी याचिकाकर्ता ने ऐसी शर्त को चुनौती दिए बिना भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। अब असफल होने पर वह परिणाम को चुनौती नहीं दे सकता। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि मैच शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता। इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

5. स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विवादित नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करने पर आपत्ति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि इसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया था, जिसे दिनांक 16.11.2022 के पूर्व विज्ञापन (अनुबंध पी/3) के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। संबंधित पद पर रिक्तियों की संख्या में वृद्धि के कारण पहले के आवेदन को बाद में दिनांक 05.05.2023 के बाद के विज्ञापन (अनुबंध पी/6) के अनुसार पूरक करना पड़ा।

6. संक्षेप में यह है कि क्या आवेदक, जिन्होंने मूल/पूर्व विज्ञापन के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर आवेदन किया था, इस आधार पर अयोग्य ठहराए जा सकते हैं कि उन्होंने दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक पी/6) के बाद के विज्ञापन के प्रकाशित होने पर उसी प्रमाण-पत्र का नया सेट प्रस्तुत नहीं किया था?

7. प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। कारण तलाशने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आइए देखें कैसे।

8. प्रतिवादियों की यह स्वीकार की गई स्थिति और उनका अपना मामला है कि बाद के दूसरे विज्ञापन के अनुसार आवेदकों को बताया गया कि उन्हें नए आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले विज्ञापन के अनुसार ही शुल्क का भुगतान किया था। उन्हें किसी भी तरह की असावधानी से बचने के लिए केवल नए सिरे से आवेदन करने की औपचारिकता दोहरानी थी। प्रतिवादियों ने वास्तव में उन्हें बेहतर विवरण प्रस्तुत करने और अपने प्रमाण-पत्रों में सुधार करने का अवसर प्रदान किया, जो पहले और दूसरे विज्ञापन के बीच के अंतराल में हुआ हो सकता है।

9. इस अर्थ में, उम्मीदवारों से नए प्रमाण-पत्र मांगने के पीछे नवीनता यह प्रतीत होती है कि किसी भी अतिरिक्त उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद, किसी उम्मीदवार को उन उम्मीदवारों के बराबर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिन्होंने बाद के विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था।

10. वर्तमान उदाहरण में, याचिकाकर्ता अंतराल के दौरान बेहतर प्रमाण-पत्रों के आधार पर कोई लाभ नहीं मांग रहा है। वह केवल अपने कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र पर भरोसा कर रहा है, जिसे उसने 16.11.2022 के पहले विज्ञापन के अनुसार अपने मूल आवेदन पत्र के समय संलग्न किया था।

11. मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को उसके कार्य अनुभव का लाभ क्यों न दिया जाए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी करना विवाद में न हो।

12. मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को दिनांक 16.11.2022 के विज्ञापन के मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (अनुबंध पी/5) का लाभ प्रदान करें और भर्ती एजेंसी द्वारा अपनाए जाने वाले चयन मानदंडों के अनुसार उसका लाभ देकर उसके प्रदर्शन का आकलन करें।

13. आज से 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।